संख्या:253/2015/1011/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
चन्दौली/औरैया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:12 अगस्त,2015

विषय : वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य की शासनादेश संख्या-55(1)/ 35-4-2014 दिनांक 08 जनवरी,2014 के द्वारा रू. 9152.055 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 4576.030 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। निम्नलिखित जनपदों द्वारा सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा निम्नलिखित जनपदों को उनके सामने इंगित विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 90.900 लाख (रूपये नब्बे लाख नब्बे हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	जनपद	जनपद से प्राप्त सन्दर्भ संख्या एवं दिनांक	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	चन्दौली	पत्र संख्या-987/त्व0आ0वि0यो0/ हैण्डपम्प/ 2015-16 दिनांक 30 जुलाई,2015	114.000	57.000	57.000
2	औरैया	पत्र संख्या-229/अं0एवंसं0/त्व0आ0वि0यो0/ 2015-16 दिनांक 28 जुलाई,2015	67.800	33.900	33.900
		योग	**181.800**	**90.900**	**90.900**

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 08 जनवरी, 2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2016 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या- 40 -आयोजनागत-लेखाशीर्षक- 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:253/2015/1011(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव /सचिव, ग्राम्य विकास/ कृषि / नगर विकास विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, वाराणसी/कानपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली/औरैया।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम ।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकरी, चन्दौली/औरैया।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्दौली/औरैया।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in